न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 24 / 2025(GCMS 2025/208)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी गांव 5 केएसडी, पो.ऑ. सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2024 से तेरह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तेरह बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर क्रमांक प11(11)शिक / राम / बीकानेर सम्भाग 2020 मूल दस्तावेजात संलग्न करें थे, इन सबकी प्रमाणित दस्तावेज चाहे है। राजस्व मण्डल अजमेर की प्रतिलिपि की फोटोकॉपी संलग्न है।
2. बिन्दु एक के अनुसार शिक[illegible] मुकन्द सिंह के बयानों की प्रमाणित छायाप्रति चाही है।
3. अप्रार्थी का स्पष्टीकरण की प्रमाणित छायाप्रति चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

4. शिकायत का निर्णय व जांच करने वाले लोक सेवकों का नाम, पद व कार्यालय मय सील सहित प्रमाणित फोटोकॉपी चाही हैं
5. परिवाद की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही है।
6. सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेज सहित प्रमाणित चाही है।
7. प्रार्थी मुकन्द सिंह को ब्यानों व सुनवाई के लिए दिये गये नोटिसों की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही है।
8. राजस्व मण्डल अजमेर को भेजी गई दोषी लोकसेवकों की सूची पद व नाम सहित प्रमाणित।
9. जांच में देरी करने वाले लोकसेवक का पद व नाम व जिम्मेदारी दायित्व नहीं निभाने लोकसेवक का पद व नाम की सूची प्रमाणित चाही है।
10. बिन्दु 1 के दस्तावेज खुर्द बुर्द व रक्षित नहीं करने वाले लोकसेवकों जिम्मेदार का पद व नाम की सूची चाही है।
11. आईपीओ क्रमांक 63एफ940903 मूल संलग्न है। पीआईओ भरकर भुगतान कर लवें प्रार्थी मुकन्द सिंह पूर्ण सहमति देता है।
12. उपखण्ड कार्यालय रायसिंहनगर में विभाग द्वारा आवंटन पदों की संख्या बताए एवं वर्तमान में कार्यरत पदोनुसार अतिरिक्त चार्ज पर कार्यरत कर्मचारियों की पदनाम की प्रमाणित सूची चाही है।
13. सरकारी कार्यालयों में अपने पद पर प्रतिनिधि पद चयन करने के लिए राज्य सरकार व अन्य अधिकारियों व आदेशों व परिपत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:06 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सू.क.अ./**3965 दिनांक 12.12.2024** से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्र.सं.	चाही गई सूचना	उत्तर
1	राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर क्रमांक प11(11)शिक/राम/ बीकानेर सम्भाग 2020 मूल दस्तावेजात संलग्न करें थे, इन सबकी प्रमाणित दस्तावेज चाहे है। राजस्व मण्डल अजमेर की प्रतिलिपि की फोटोकॉपी संलग्न है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक नहीं होनी चाहिए।
2	बिन्दु एक के अनुसार शिकायतकर्ता मुकन्द सिंह के बयानों की प्रमाणित छायाप्रति चाही है।	कोई ब्यान नहीं लिये गये।
3	अप्रार्थी का स्पष्टीकरण की प्रमाणित छायाप्रति चाही है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक नहीं होनी चाहिए।
4	शिकायत का निर्णय व जांच करने वाले लोक सेवकों का नाम, पद व कार्यालय मय सील सहित प्रमाणित फोटोकॉपी चाही है	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक नहीं होनी चाहिए।
5	परिवाद की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक नहीं होनी चाहिए।
6	सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेज सहित प्रमाणित चाही है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक नहीं होनी चाहिए।
7	प्रार्थी मुकन्द सिंह को ब्यानों व सुनवाई के लिए दिये गये नोटिसों की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक नहीं होनी चाहिए।
8	राजस्व मण्डल अजमेर को भेजी गई दोषी लोकसेवकों की सूची पद व नाम सहित प्रमाणित।	सूचना सूची है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:06 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर
गंगानगर

9	जांच में देरी करने वाले लोकसेवक का पद व नाम व जिम्मेदारी दायित्व नहीं निभाने लोकसेवक का पद व नाम की सूची प्रमाणित चाही है।	सूचना शून्य है।
10	बिन्दु 1 के दस्तावेज खुर्द बुर्द व रक्षित नहीं करने वाले लोकसेवकों जिम्मेदार का पद व नाम की सूची चाही है।	सूचना शून्य है।
11	आईपीओ क्रमांक 63एफ940903 मूल संलग्न है। पीआईओ भरकर भुगतान कर लवें प्रार्थी मुकन्द सिंह पूर्ण सहमति देता है।	भुगतान राज्य सरकार के राजकोष में जका करया दिये जायेगें।
12	उपखण्ड कार्यालय रायसिंहनगर में विभाग द्वारा आवंटन पदों की संख्या बताए एवं वर्तमान में कार्यरत पदोनुसार अतिरिक्त चार्ज पर कार्यरत कर्मचारियों की पदनाम की प्रमाणित सूची चाही है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक नहीं होनी चाहिए।
13	सरकारी कार्यालयों में अपने पद पर प्रतिनिधि पद चयन करने के लिए राज्य सरकार व अन्य अधिकारियों व आदेशों व परिपत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी चाही है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक नहीं होनी चाहिए।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। प्रत्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है और सहायक लोक सूचना अधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया है वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट रूप से आवेदन प्रस्तुत करें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार देय सूचना दिया सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26[illegible]202[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:06 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर